



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092026-276498
CG-DL-E-25092026-276498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5092]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948

No. 5092]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

का.आ. 5299(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, अधिनियम (विशेष शक्तियां) सशस्त्र बल, 1958)1958 का 28) की धारा दिनांक, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 323.03.2026 की अधिसूचना का.आ. 1515 के तहत (अ) 5 जिलों के 13 (तेरह) पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, संपूर्ण मणिपुर राज्य को दिनांक 01.04.2026 से छः माह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था।

और जबकि, मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

अब, इसलिए, सशस्त्र बल, अधिनियम (विशेष शक्तियां) 1958)1958 का 28) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 3 का प्रयोग करते हुए, 5 जिलों के निम्नलिखित 13 (तेरह) पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, संपूर्ण मणिपुर राज्य को दिनांक 01.10.2026 से छः माह तक, यदि इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है :-

क्रम संख्या	पुलिस थानों के नाम	ज़िला
1.	इंफाल	इंफाल पश्चिम
2.	लाम्फेल	

3.	सिटी	
4.	सिंगजामेई	
5.	पाटसोई	
6.	वांगोई	
7.	पोरोम्पैट	इम्फाल पूर्व
8.	हिंगांग	
9.	इरिलबंग	
10.	थौबल	थौबल
11.	बिष्णुपुर	बिष्णुपुर
12.	नामबोल	
13.	काकचिंग	काकचिंग

[फा.सं.11011/51/2015एन-ई.-V]

नीरज कुमार बनसोड, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2026

S.O. 5299(E).— Whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared entire State of Manipur, excluding the areas falling under the jurisdiction of the 13 (thirteen) Police Stations of 5 districts, as 'disturbed area' for a period of six months with effect from 01.04.2026 vide Notification S.O.1515 (E) dated 23.03.2026.

And whereas, a further review of the law and order situation in the state of Manipur has been undertaken.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958), the entire State of Manipur, excluding the areas falling under the jurisdiction of the following 13 (thirteen) Police Stations of 5 districts, is declared as 'disturbed area' for a period of six months with effect from 01.10.2026, unless withdrawn earlier:-

Sl. No.	Name of Police Station	District
1.	Imphal	Imphal West
2.	Lamphel	
3.	City	
4.	Singjamei	
5.	Patsoi	
6.	Wangoi	
7.	Porompat	Imphal East
8.	Heingang	

9.	Irilbung	
10.	Thoubal	Thoubal
11.	Bishnupur	Bishnupur
12.	Nambol	
13.	Kakching	Kakching

[F. No. 11011/51/2015-NE.V]

NIRAJ KUMAR BANSOD, Jt. Secy.